

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावास भवन, सेक्टर - 19, अटल नगर, जिला - रायपुर

ई-मेल: seiaacg@gmail.com

क. 89 / एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग. / ई.सी. / रायपुर / 637 अटल नगर, दिनांक 6/5/2019
प्रति,

मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड
ग्राम-गोंदवारा,
तहसील व जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :- खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल - 18.5 हेक्टेयर, ग्राम-गोंदवारा, तहसील व जिला-रायपुर, एम.एस. राउंड्स एण्ड सीटीडी बार क्षमता-37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 67791/ 2017, दिनांक 04/09/2017 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 31/01/2019

---: 00 :---

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 04/09/2017, 19/09/2017, 23/11/2017, 03/12/2018, 03/01/2019 एवं 31/01/2019 का अवलोकन हो।

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 67791/ 2017, दिनांक 04/09/2017।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल - 18.5 हेक्टेयर, ग्राम-गोंदवारा, तहसील व जिला-रायपुर, एम.एस. राउंड्स एण्ड सीटीडी बार क्षमता-37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना स्थल पर एम.एस. इंगाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता-1,05,600 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, वॉयर ड्राइंग युनिट क्षमता-1,25,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, फलाई ऐश ब्रिक्स मैनुफेक्चरिंग प्लांट क्षमता-72,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल क्षमता- 1,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, कोल बेस्ड सी.पी.पी. 16 मेगॉवाट, रिफाइनिंग फर्नेस क्षमता-03 एम.व्ही.ए. एवं कोल गैसीफायर प्लांट क्षमता 2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा का स्थापित एवं संचालित है। वर्तमान में रोलिंग मिल हेतु विनियोग रुपये 15.56 करोड़ किया गया है। क्षमता विस्तार में कोई विनियोग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फलस्वरूप क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 15.56 करोड़ होगा। सी.एस.आई.डी.सी. के पत्र दिनांक 12/06/2007 द्वारा परियोजना स्थल (ग्राम-गोंदवारा) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित उरला ग्रोथ सेंटर में शामिल किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण - एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दिनांक 13/10/2017 को संपन्न 238वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:-

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी की जाए।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
6. सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
7. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/11/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दिनांक 23/11/2017 को संपन्न 239वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री श्रवण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:-

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/11/2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

2. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से इण्डक्शन फर्नेस रायपुर द्वारा हेतु दिनांक 30/05/2016 को एम.एस. राउंड, सी.टी.डी. बार आदि हेतु क्षमता - 37,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा एम.एस. इंगाट/बिलेट क्षमता - 1,05,600 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है।
 - वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई।
4. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -
- समीपस्थ शहर रायपुर 6.5 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 24.5 कि.मी., रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 7.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.9 कि.मी. की दूरी पर है। खारुन नदी लगभग 6.6 कि.मी. की दूरी पर है।
 - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट - फैक्ट्री शेड का क्षेत्रफल 1.85 हेक्टेयर, निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर, खुले क्षेत्र का क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर, रॉ-मटेरियल स्टोरेज एरिया का क्षेत्रफल - 2.0 हेक्टेयर, स्क्रेप यार्ड का क्षेत्रफल - 0.5, अन्य क्षेत्र का क्षेत्रफल - 5.3 हेक्टेयर, विस्तार हेतु क्षेत्र का क्षेत्रफल - 1.65 हेक्टेयर, रोड एवं पार्किंग क्षेत्र का क्षेत्रफल - 1.5 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल - 3.7 हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 20 प्रतिशत) है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल - 18.5 हेक्टेयर है।
6. रॉ-मटेरियल - रोलिंग मिल में रॉ-मटेरियल के रूप में एम.एस. इंगाट/बिलेट -69,912 टन प्रतिवर्ष का उपयोग कर रोलड प्रोडक्स का उत्पादन किया जाएगा। एम.एस. इंगाट/बिलेट परिसर में स्थापित एस.एम.एस. युनिट क्षमता - 1,05,600 टन प्रतिवर्ष से प्राप्त किया जाएगा।
7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाइयों संबंधी जानकारी -
- एम.एस. इंगाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता - 1,05,600 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 27/11/2005 को जल एवं वायु सम्मति जारी किया गया एवं दिनांक 30/05/2016 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
 - वॉयर ड्राइंग युनिट क्षमता-1,25,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं पलाई ऐश ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग प्लांट क्षमता-72,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 24/12/2010 को जल एवं

वायु सम्मति जारी किया गया एवं दिनांक 01/08/2015 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

- रोलिंग मिल क्षमता—1,50,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष, कोल बेस्ड सी.पी.पी. 16 मेगॉवाट एवं कोल गैसीफायर प्लांट क्षमता 2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11/02/2008 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 26/06/2008 को जल एवं वायु सम्मति जारी की गई एवं दिनांक 03/03/2015 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। क्षमता विस्तार के तहत उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
 - रिफाइनिंग फर्नेस क्षमता—03 एम.व्ही.ए. के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा जल एवं वायु सम्मति जारी की गई एवं दिनांक 26/08/2017 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया।
 - पूर्व में बिलेट्स री-हीटिंग हेतु 37,500 टन प्रतिदिन क्षमता का ऑयल फायर्ड फर्नेस उपयोग किया जाता था। वर्ष 2013 से इस ऑयल फायर्ड फर्नेस का उपयोग नहीं कर हॉट चार्ज सिस्टम आधारित रोल्ड प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत क्षमता — 59,500 टन हॉट चार्जिंग सिस्टम से किया जाना प्रस्तावित है।
 - वर्तमान में हॉट चार्जिंग सिस्टम आधारित रोलिंग मिल स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेस अथवा रोलिंग मिल की स्थापना नहीं की जाएगी। हॉट चार्जिंग सिस्टम आधारित रोलिंग मिल के क्षमता विस्तार हेतु स्थापित हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल के कार्य समय में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अतिरिक्त री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना/संचालन का प्रस्ताव नहीं है।
8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना प्रस्तावित नहीं की गई है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।
9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था — क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल — 2445 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलायज निर्माण इकाईयों को विक्रय जाएगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
10. जल प्रबंधन व्यवस्था —
- जल खपत एवं स्रोत — स्थापित परियोजना हेतु 13 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 01 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 02 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति खारुन नदी से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – स्थापित परियोजना हेतु घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.5 घनमीटर प्रतिदिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना की गई है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.0 घनमीटर प्रतिदिन होगी। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनःउपयोग किया जाता है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
 - छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5010, दिनांक 26/10/2004 द्वारा खारुन नदी से 1.5 मिलियन घनमीटर प्रतिवर्ष जल उपयोग हेतु अनुमति ली गई है। भू-जल का उपयोग नहीं किया जाता है, जल की आपूर्ति खारुन नदी से किया जाता है एवं यह व्यवस्था क्षमता विस्तार के लिये भी लागू होगी।
 - **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जाएगा, उससे अधिकतम दुगुनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
 - **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किये गये हैं। ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु क्षमता – 30,000 घनमीटर का वॉटर रिजर्वॉयर निर्मित किया गया है।
11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल होने के कारण रोलिंग मिल से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा निरंक है। क्षमता विस्तार उपरांत हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल होने के कारण डस्ट उत्सर्जन की मात्रा शून्य होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से 1540 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् 2445 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा यथावत (2) प्रतिवर्ष स्टील उत्पादन में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे फेरो एलॉयज इकाईयों में रिसायकल किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।
12. **विद्युत खपत** – वर्तमान में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट से विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं क्षमता विस्तार उपरांत 4000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

13. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – परियोजना में कुल क्षेत्र के 20 प्रतिशत क्षेत्र अर्थात् 3.7 हेक्टेयर क्षेत्र में 10,000 नग वृक्षारोपण किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी मंगाई जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/11/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:-

1. "उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।"
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति की दिनांक 19/07/2018 को संपन्न 249वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म-2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु एवं परियोजना प्रस्तावक को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/09/2018 के परिपेक्ष्य में ज्ञापन प्रेषित किया गया है।

समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 22/10/2018 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म-2 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सुसंगत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव गणना सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिंदुओं पर चाही गई जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत क्षमता विस्तार के विनियोग का 1 प्रतिशत समीपस्थ शासकीय स्कूल/महाविद्यालय में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण आदि में व्यय किए जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव गणना सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. उद्योग के परिसर में कुल रनऑफ की गणना की जाए तथा रनऑफ की पूर्ण मात्रा के हार्वेस्टिंग का उपयुक्त प्रस्ताव दिया जाए। तदनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/12/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 05/01/2019 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अस्पष्ट है।

समिति की दिनांक 09/01/2019 को संपन्न 267वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी थी कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछनीय जानकारियां यथा सी.ई.आर., प्रदूषणभार, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त जानकारियां/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/01/2019 द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार - समिति की दिनांक 31/01/2019 को संपन्न 268वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार

गोयल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में हॉट चार्जिंग सिस्टम आधारित रोलिंग मिल के क्षमता विस्तार हेतु स्थापित हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल के कार्य समय में वृद्धि अर्थात् 1 शिफ्ट से बढ़ाकर 2 शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस कारण से क्षमता विस्तार में कोई विनियोग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुपालन में सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in Lakh)
At Nearby School, Village-Bendri, District-Raipur following activities will be carried out: i. Implementation & Maintenance of Rain Water Harvesting ii. Plantation iii. RO based Drinking Water & Running Water Facilities in Toilet	5.0

2. प्रस्तावित हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल से किसी भी प्रकार का पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन (Zero emission process) नहीं होगा। प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने हेतु स्थापित एम.एस. इंगाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता-1,05,600 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से संलग्न चिमनी में स्थापित बेग फिल्टर का उन्नयन कर, पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर, 40 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 96,000 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पिट निर्मित किया गया है। साथ ही परिसर अंतर्गत 50,000 घनमीटर क्षमता का वाटर रिजर्वायर टैंक तथा गारलेण्ड ड्रेन निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। मानसून के दौरान गारलेण्ड ड्रेन के माध्यम से एकत्र जल को उद्योग में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा।
4. वर्तमान में कुल क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत क्षेत्र अर्थात् 3.7 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत था कि कुल क्षेत्रफल के कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः आगामी वर्षा ऋतु में कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाए।
5. वर्तमान में परियोजना (ग्राम-गोंदवारा एवं बोरझरा के उद्योग हेतु क्रमशः 1,313 घनमीटर प्रतिदिन एवं 2,412 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु कुल 3,725 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5010, दिनांक 26/10/2004 द्वारा खारुन

- नदी से 1.5 मिलीयन घनमीटर प्रतिवर्ष (लगभग 1,25,000 घनमीटर प्रतिमाह) जल उपयोग हेतु अनुमति ली गई है।
6. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।
 7. परियोजना स्थल (ग्राम-गोंदवारा) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित उरला ग्रोथ सेंटर में शामिल किया गया है।
 8. रोलिंग मिल के क्षमता विस्तार से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा यथावत रहेगी, स्थापित एम.एस. इंगाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता-1,05,600 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से संलग्न चिमनी में स्थापित बेग फिल्टर का उन्नयन कर, पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर, 40 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम किए जाने पर पार्टिकुलेट मेटर में कमी होगी। जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होने से पर्यावरणीय घटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।
 9. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा इकाई की स्थापना से प्रदूषण में प्रभावी वृद्धि की संभावना नहीं बताई गई है।
 10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' कैटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाइन जारी किए गए हैं:-
 "Category B2 - All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."
 11. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

अतः उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 9 एवं 10 के अनुरूप, उद्योग स्थल (ग्राम-गोंदवारा) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित उरला ग्रोथ सेंटर में शामिल के आधार पर 'बी1' श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि क्षमता विस्तार हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल - 18.5 हेक्टेयर, ग्राम-गोंदवारा, तहसील व जिला-रायपुर, एम.एस. राउंड्स एण्ड सीटीडी बार क्षमता-37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार -उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/04/2019 को संपन्न 83वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नरती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत खसरा क्रमांक 2/3, कुल

क्षेत्रफल – 18.5 हेक्टेयर, ग्राम-गोंदवारा, तहसील व जिला-रायपुर, एम.एस. राउंड्स एण्ड सीटीडी बार क्षमता-37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल – 18.5 हेक्टेयर, ग्राम-गोंदवारा, तहसील व जिला-रायपुर, एम.एस. राउंड्स एण्ड सीटीडी बार क्षमता-37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) को पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF / EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5} in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed / upgraded in induction furnace(s) of capacity 1,05,600 TPA with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 40 mg/Nm³ all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be

immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter (Induction furnace(s) of capacity 1,05,600 TPA)	40 mg/Nm ³ (Fourty Milligram per Normal Cubic Meter)
Particulate Matter (From other units)	50 mg/Nm ³ (Fifty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.
- viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of

ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

- iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. The project proponent shall not utilize any solid / liquid / gases fuel such as coal, furnace oil, diesel, producer gas etc. in any form as a fuel. Hot ingot / Billets received through CCM shall be hot charged in the Rolling Mill. No reheating furnace(s) shall be installed for reheating the ingots / billets. No new induction furnace(s) shall be installed and existing rolling mill shall be used to produce 59,500 tonnes / year Re-rolled products.
- ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area equal to 33% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines this

monsoon season. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.

- ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health Issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in Lakh)
At Nearby School, Village-Bendri, District-Raipur following activities will be carried out:	
i. Implementation & Maintenance of Rain Water Harvesting	5.0
ii. Plantation	
iii. RO based Drinking Water & Running Water Facilities in Toilet.	

- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly

approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

- v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

- i. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
- ii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal and at seiaacg.org.
- vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

- xii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xiii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xiv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

छत्तीसगढ़

पृ.क. 85/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग./ई.सी./रायपुर/637 अटल नगर, दिनांक 6/5/2019
प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 100003
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर - 19, अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. सदस्य सचिव, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-II, विंग-3, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066
5. कलेक्टर, जिला - रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

छत्तीसगढ़